



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072023-247236
CG-DL-E-12072023-247236

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2918]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2023/आषाढ़ 20, 1945

No. 2918]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2023/ASHADHA 20, 1945

शिक्षा मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2023

का.आ. 3043 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73) की धारा 3 की उपधारा (1) और (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3 उप खंड (ii) तारीख 4 मार्च, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) संख्या का.आ. 980(अ), तारीख 4 मार्च, 2020 की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, —

(i) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"1. प्रोफेसर योगेश सिंह

अध्यक्ष";

(ii) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

सुश्री केसांग यांगज़ोम शेरपा, आईआरएस

सदस्य सचिव";

(iii) क्रम संख्या 16 और 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"16. श्रीमती इंदु प्रसाद, निदेशक शिक्षा विद्यालय और सतत शिक्षा विद्यालय और विश्वविद्यालय संसाधन केंद्र, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु	सदस्य
17. प्रो. नैन सिंह, डीन, शिक्षा संकाय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	सदस्य";

(iv) क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"20. प्रो. (सेवानिवृत्त) डॉ. चांद किरण सलूजा, सेंट्रल शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय: संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, दिल्ली	सदस्य";
---	---------

(v) क्रम संख्या 21, 20 और 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"21. प्रो. दुसी रामकृष्ण राव, निदेशक, विज्ञान विहार शिक्षात्मक समाज, गुडिलोवा, विशाखापत्तनम	सदस्य
22. प्रो. (सेवानिवृत्त) सुधाकर वेणुकापल्ली, शिक्षा विभाग, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	सदस्य
23. डॉ. श्रुति महापात्रा, विशेष शिक्षा; संस्थापक और महोत्सव निदेशक - अंजलि अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव, भुवनेश्वर	सदस्य

(vi) क्रम संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"24. श्री गजानन लोंढे, कार्यकारी निदेशक, संवित रिसर्च फाउंडेशन, बेंगलोर	सदस्य:"
---	---------

(vii) क्रम संख्या 26 और 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"26. प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) नीलिमा भगवती, शिक्षा, गुवाहाटी विश्वविद्यालय	सदस्य
27. श्री विनीत नायर, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एचसीएल प्रोद्योगिकी; संस्थापक, संपर्क फाउंडेशन	सदस्य:"

(viii) क्रम संख्या 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"29. शिक्षा सचिव (शिक्षक शिक्षा प्रभारी) या निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद और प्रशिक्षण, अंडमान और निकोबार	सदस्य
30. शिक्षा सचिव (शिक्षक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद और प्रशिक्षण, मध्य प्रदेश	सदस्य
31. शिक्षा सचिव (अध्यापक शिक्षा प्रभारी) या निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, गुजरात	सदस्य
32. शिक्षा सचिव (शिक्षक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, हरियाणा	सदस्य
33. शिक्षा सचिव (अध्यापक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एवं प्रशिक्षण, कर्नाटक	सदस्य
34. शिक्षा सचिव (शिक्षक प्रभारी), शिक्षा) या निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं	सदस्य

प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश	
35. शिक्षा सचिव (शिक्षक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद और प्रशिक्षण, सिक्किम	सदस्य
36. शिक्षा सचिव (अध्यापक शिक्षा के प्रभारी) या निदेशक, राज्य शैक्षिक परिषद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, असम	सदस्य
37. शिक्षा सचिव (शिक्षक प्रभारी), शिक्षा या निदेशक, राज्य शैक्षिक परिषद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, त्रिपुरा	सदस्य :"

(ix) क्रम संख्या 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने, निम्नलिखित अर्थात्:—

38. श्री विपिन कुमार, प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गाजियाबाद	सदस्य:"
--	---------

[फा. सं. 11-21/2019-ईई-10/आई.एस. 14]

प्राची पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 4 मार्च, 2020 में संख्या का.आ. 980(अ), तारीख 4 मार्च, 2020 के अधीन प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2023

S.O. 3043 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (4) of section 3 read with section 4 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Human Resource Development (Department of School Education and Literacy), number S.O.980(E), dated the 4th March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 4th March, 2020, namely:—

In the said notification,—

(i) against serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"1. Professor Yogesh Singh	Chairperson";
----------------------------	---------------

(ii) against serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"3 Ms. Kesang Yangzom Sherpa, IRS	Member Secretary";
-----------------------------------	--------------------

(iii) against serial numbers 16 and 17 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"16. Smt. Indu Prasad, Director, School of Education and School of Continuing Education and University Resource Centre, Azim Premji University, Bengaluru	Member
17. Prof. Nain Singh, Dean, Faculty of Education, Himachal Pradesh University	Member";

(iv) against serial number 20 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“20. Prof. (Retd.) Dr. Chand Kiran Saluja, Central Institute of Education, Delhi University; Samskrit Promotion Foundation, Delhi	Member”;
---	----------

(v) against serial numbers 21, 22 and 23 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“21. Prof. Dusi Ramakrishna Rao, Director, Vijnana Vihara Educational Society, Gudilova, Visakhapatnam	Member
22. Prof. (Retd.) Sudhakar Venukapalli, D/o Education, The English and Foreign Languages University, Hyderabad	Member
23. Dr. Sruti Mohapatra, Special Education; Founder and Festival Director – Anjali International Children’s Festival, Bhubaneswar	Member”;

(vi) against serial number 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“24. Shri Gajanan Londhe, Executive Director, Samvit Research Foundation, Bangalore	Member”;
---	----------

(vii) against serial numbers 26 and 27 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“26. Prof. (Retd.) Neelima Bhagwati, Education, Guwahati University	Member
27. Shri Vineet Nayar, Former Chief Executive Officer, HCL Technologies; Founder, Sampark Foundation	Member”;

(viii) against serial numbers 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 and 37 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“29. Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Andaman and Nicobar	Member
30. Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Madhya Pradesh	Member
31. Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Gujarat	Member
32. Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Haryana	Member
33. Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Karnataka	Member
34. Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Uttar Pradesh	Member

35. Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Sikkim	Member
36. Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Assam	Member
37. Education Secretary (in-charge of Teacher Education) or Director, State Council of Educational Research and Training, Tripura	Member”;

(ix) against serial number 38 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“38. Shri Vipin Kumar, Principal, Saraswati Vidya Mandir, Sr. Secondary School, Ghaziabad.	Member”.
--	----------

[F. No. 11-21/2019-EE-10/IS.14]

PRACHI PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th March, 2020, vide number S.O.980(E), dated the 4th March, 2020.